

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 347]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितंबर 18, 1970/भाद्र 27, 1892

No. 347]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 1970/BHADRA 27, 1892

इस भाग में निम्नलिखित सूचना दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 18th September 1970

S.O. 3122.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), is of opinion that it is necessary or expedient to amend the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 1022, dated the 26th March 1966, in the manner specified below for the development of the export trade of India and has forwarded the proposal in that behalf to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1962.

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the Public likely to be affected thereby.

2 Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within thirty days of the date of publication of this notification to the Export Inspection Council, World Trade Centre, 14/1-B, Ezra Street (7th floor) Calcutta-1.

(1521)

Proposals

The notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 1022, dated the 26th March 1966, shall be amended as follows, namely:—

In the Annexure to the said notification, in Table (F), under the column "General characteristics", after the existing entries the following shall be added, namely:—
"They shall be free from rancid Kernels."

[No. 60(4)/Exp. Insp./67.]

K. S. BHATTNAGAR, Jt. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1970

का० आ० 31222—यतः निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार का यह राय है कि भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1022 तारीख 26 मार्च, 1966, को भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए नीचे निर्दिष्ट रीति से संशोधित करना आवश्यक या समीचीन है, और इस निमित्त प्रस्तावों को, निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1966 के नियम 11 के उपनियम (2) द्वारा यथापेक्षित, निर्यात निरीक्षण परिषद् को अर्पित किया गया : ।

अतः अब उक्त अधिनियम के अनुरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त प्रस्तावों को तद्वारा संभाव्यतः प्रभावित होने वाली जनता की सूचना के लिए प्रकाशित करती है ।

2. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति जो उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजने का इच्छुक हो इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख के तीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर', 14/1-बी एजरा स्ट्रीट—कलकत्ता - 1 को भेज सकता है ।

प्रस्ताव

भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1022 तारीख 26 मार्च, 1966 निम्न प्रकार से संशोधित की जाएगी, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के उपबन्ध में, सारणी (च) में, 'साधारण लक्षण' स्तंभ के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"वे विकृत गंधी गरी से मुक्त होंगे ।"

[सं० 60(4)/एक्सपो० इन्स्पे०/67.]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।